

ले ज गुरमीत सिंह,
पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम,
वीएसएम (से नि)
राज्यपाल एवं
कुलाधिपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा
उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा
विश्वविद्यालय, देहरादून।



राजभवन
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या-186/8 / जी०एस०(शिक्षा)/C15-2(TC)/2020

देहरादून : दिनांक : 20 जनवरी, 2025

आदेश

डा० मदन लाल ब्रह्म भट्ट, वर्तमान कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून द्वारा अन्यत्र नियुक्ति होने के फलस्वरूप हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति पद से दिया गया त्यागपत्र एतद्वारा स्वीकार किया जाता है।

नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए अन्तरिम व्यवस्था हेतु हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के मूल अधिनियम-2014 यथा संशोधित अधिनियम-2020 की धारा-10 की उपधारा (7) के अन्तर्गत डा० ओंकार सिंह, कुलपति-वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून को उनके पद के कार्य दायित्वों के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून के कुलपति के कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु नियुक्त किया जाता है।

६०/-

ले ज गुरमीत सिंह
कुलाधिपति।

संख्या- (1)/जी०एस०(शिक्षा)/C15-2(TC)/2019, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
4. डा० मदन लाल ब्रह्म भट्ट, वर्तमान कुलपति, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
5. डा० ओंकार सिंह, कुलपति, वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
6. कुलपति/कुलसचिव, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश,
7. कुलसचिव, हेमवती नन्दन बहुगुणा उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, देहरादून।
8. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(स्वाति एस० भदौरिया)

अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।